तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही सब मय हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

दर्ज करवाने का अनुरोध चाहा है। पुस्तका में मूल विवाद मृतक हरीश के विरासत के नामान्तरकरण का होना पाया जाता जिसका अधिकार तहसीलदार को निहित है। अतः वाद, वादी के जिरिया के जरिये खारिज किया जाता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा कृषि भूमि ख.नं. 328, 331, 342, 343, 349 लगायत 353, 321 कुल किता - 10 रकबा 2.64 हैक्टेयर मनजात हरीश - शाषुतार्थ मृतक हरीश कुंज दौला के नाम दर्ज भूमि के विरासत का नामान्तरकरण नियमानुसार उभयपक्षकारों को सुनकर दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री करी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

17.01.20 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष को सुन कर अपने आदेश में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए सुनवाई अनुरोध पत्रावली डिक्री करवाये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने बहस कर अपने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा खारिज करवाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस पक्षकार उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि पक्षी विवादित ख.नं. में मृतक हरीश के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम